

निविदा आमंत्रण सूचना

एपीडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संस्थापित बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान लैब (बीईडीएफ), मोदीपुरम, उत्तर प्रदेश, रसायन/ग्लासवेयर/प्लास्टिक-वेयर/विविध मदों की आपूर्ति के लिए **अनुलग्नक-“क”** में उल्लिखित नियमों और शर्तों आदि पर प्रामाणिक स्टॉकिस्ट/आपूर्तिकर्ताओं से आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए कोटेशन आमंत्रित करता है, जिसे आपूर्तिकर्ता और बीईडीएफ की आपसी सहमति से रसायन/ ग्लासवेयर/प्लास्टिक-वेयर/विविध मदों की आपूर्ति के लिए संतोषजनक प्रदर्शन पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कोटेशन जमा करने से पहले, बोलीदाता को चेकलिस्ट में उल्लिखित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। निविदा का अग्रपेज पत्र **अनुलग्नक-“ख”** में है और मदों की सूची (वित्तीय बोली) **अनुलग्नक-“ग”** में उपलब्ध है।

बोलियां जमा करना

- i. निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-“क” में दिया गया) में बोलियां एक मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं, जिस पर <रसायनविविध मदों/वेयर-प्लास्टिक/ग्लासवेयर/ के लिए बोलियां> लिखा हो।
- ii. बोली सहित मुहरबंद लिफाफा विधिवत हस्ताक्षरित संलग्नकों के साथ बोलीकर्ता को निर्धारित समय सीमा तक डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमाकरना होगा:

संयुक्त निदेशक,

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान

एसवीबीपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (पुराना परिसर),

एनएच-58, रुड़की रोड, मोदीपुरम,

मेरठ-250110 (यूपी)

बोली जमा करने की अंतिम तिथि **23 अप्रैल, 2025 शाम 5:00 बजे तक** है।

टिप्पणी:-

- क. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के दौरान किसी भी अप्रत्याशित कठिनाई से बचने के लिए बोली समय से पहले प्रस्तुत करें।
- ख. सशर्त बोलियों की अनुमति नहीं है तथा उन्हें यथाशीघ्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ग. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा या उन्हें खोला नहीं जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
- घ. प्रस्तुत बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन या प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदक आवेदन जमा करने के बाद अपना आवेदन वापस ले सकता है , बशर्ते कि आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले बीईडीएफ को आवेदन वापस लेने की लिखित सूचना प्राप्त हो जाए। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन दोबारा जमा करना चाहता है , तो उसे निर्धारित तिथि तक सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नया आवेदन जमा करना होगा।

अनुलग्नक-“क”

नियम और शर्तें

1. प्रत्येक मदों का निर्माण और ग्रेड प्रयोगशाला आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट है और बोलीदाता को समान या समान मदों का प्रस्ताव करना होगा।
2. प्रत्येक मद की दर केवल लागू करों सहित भारतीय रुपये में उद्धृत हो।
3. बोलीदाता रसायनों की पूरी मात्रा तथा नवीनतम बैच से आपूर्ति करें।
4. प्रत्येक मदों की समाप्ति अवधि (जहां भी लागू हो) कोटेशन की तारीख से कम से कम एक वर्ष हो।
5. प्रत्येक मदों की उचित हैंडलिंग और पैकिंग के साथ आपूर्ति की जाए।
6. बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाए।
7. यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि कोटेशन प्रस्तुत करने के बाद दरों में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाए।
8. आपूर्तिकर्ता के पास वैध जीएसटी नंबर हो। कोटेशन के साथ उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी जमा करनी होगी।
9. बिल/इनवॉयस के अंतर्गत भुगतान सामग्री की आपूर्ति के बाद ही जारी किया जाएगा। विलंबित भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ताओं को उनके बैंक खाते में टीडीएस की कटौती के बाद, यदि कोई हो तो आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान के किसी अन्य तरीके के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यदि बीईडीएफ की किसी भी प्रयोगशाला को आपूर्ति की गई मदों का कोई बैच दोषपूर्ण, कम प्रदर्शन करने वाला या किसी भी तरह से अनुपयुक्त पाया जाता है, तो बिना किसी अनावश्यक देरी के, उस प्रयोगशाला में जहां समस्या देखी गई है, बोलीदाता को उचित ग्रेड के बराबर संख्या/मात्रा में वस्तुओं को प्रतिस्थापित करना होगा।

11. आपूर्तिकर्ता द्वारा लगाए गए शुल्क, समान मर्दों के लिए अन्य से ली जाने वाली दरों से अधिक नहीं होने चाहिए। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को बीईडीएफ द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत बिल से कटौती के अतिरिक्त अनुबंध को रद्द किया जाएगा और बीईडीएफ द्वारा भविष्य में लेन-देन पर रोक लगाई जाएगी।
12. अनुबंध आमतौर पर निम्नतम (आधिक्य मर्दों की निविदा के मामले में अधिकांश मर्दों के लिए) मूल्यांकित बोलीदाता को दिया जाता है, जिसकी बोली उत्तरदायी पाई गई हो और जिसकी शर्तें निविदा पत्र में शामिल हों। बीईडीएफ निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मर्दों के लिए अनुबंध प्रदान करने हेतु एक या एक से अधिक फर्मों को अस्वीकार करने या चुनने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. बीईडीएफ किसी भी समय अनुबंध/आदेश दिए जाने से पूर्व बिना कोई कारण बताए और बीईडीएफ पर कोई दायित्व उठाए बिना घोषणा वापस लेने, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीईडीएफ कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित एजेंसियों के साथ कीमतों पर बातचीत करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

बीईडीएफ के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है

- 1) अपने विवेकानुसार आवेदन/बोली दस्तावेज जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
- 2) अनुबंध/आदेश सौंपे जाने से पहले किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए और बीईडीएफ पर किसी भी दायित्व के बिना, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- 3) बीईडीएफ को 15 दिन के नोटिस के बाद बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त करने का अधिकार है। आपूर्तिकर्ता ऐसे समाप्ति के विरुद्ध किसी भी मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- 4) परियोजना को स्थगित करना; चयनित पक्ष के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूरी तरह से किसी भी समय रद्द करना यदि बीईडीएफ की राय में यह सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में बीईडीएफ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बीईडीएफ उपरोक्त कार्रवाई से होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।

- 5) बोली प्रक्रिया के बाद सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध की शर्तों और नियमों में संशोधन करना, यदि बीईडीएफ की राय में ऐसा करना जनहित में या परियोजना के उचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में बीईडीएफ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 6) इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, बीईडीएफ का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।
- 7) किसी भी समय/चरण पर निविदा को रद्द करना या बिना कोई कारण बताए निविदा दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम व शर्त में छूट देना/संशोधित करना/वापस लेना।

अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

विवाद निपटान:

1. इससे उत्पन्न होने वाले सभी विवाद भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
2. किसी भी विवाद की स्थिति में , दोनों पक्ष सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे।
3. किसी भी संदेह, प्रश्न, विवाद या उसके संबंध में समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले मतभेद की स्थिति में (ऐसे मामलों को छोड़कर , जिसका निर्णय विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) अनसुलझा रहता है , उसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा , और दिया गया निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
4. *भारतीय माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996* के प्रावधानों (समय-समय पर यथासंशोधित) दोनों पक्षों पर लागू होगी। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान एपीडा , दिल्ली का कार्यालय या ऐसा कोई अन्य स्थान होगा जिसे एपीडा के अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। उपर्युक्त किसी भी और हर संदर्भ पर, सौंपने हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक व्यय का आकलन एपीडा के अध्यक्ष के विवेक पर होगा।
5. मध्यस्थ को देय शुल्क दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से भुगतान किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

क्षतिपूर्ति:

एजेंसी बीईडीएफ और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को एजेंसी, उसके उप ठेकेदारों, उप-एजेंटों, कर्मचारियों, आदि द्वारा उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न सभी कार्यवाही, कार्यों, हानियों, क्षतियों, व्ययों, लागतों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखेगी , चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा , जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के भुगतान के लिए देयता शामिल हैं, जिसका सामना बीईडीएफ को अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय करना पड़ सकता है।

चेकलिस्ट

तकनीकी मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने के लिए फर्मों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
2. पैन की प्रति
3. विनिर्माता से प्राधिकरण की प्रति
4. बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाए।
5. **अनुलग्नक-“ख”** में उल्लिखित अनुसार विधिवत भरा हुआ अग्रेषण पत्र (फर्म/बोलीदाता के लेटर हेड पर)।

अनुलग्नक-“ख”
(फर्म/बोलीदाता के लेटर हेड पर)

सेवा में,

डॉ. रितेश शर्मा

संयुक्त निदेशक

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान,

एसवीबीपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (पुराना परिसर),

एनएच-58, रुड़की रोड, मोदीपुरम, मेरठ-250110 (यूपी)

महोदय,

मैं/हम बोली प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक हैं और यहाँ बीईडीएफ/एपीडा द्वारा प्रकाशित संदर्भ सं. F.No. BEDF/2021-22-00005/059 दिनांक 04.03.2025 वाले कोटेशन आमंत्रण नोटिस में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए अपनी सहमति देते हैं।

2. मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं मेरी/हमारी फर्म उस सी.आर.एम. विनिर्माता की अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता है, जिसकी दरें मेरी फर्म द्वारा उद्धृत की गई हैं तथा मेरी/हमारी फर्म को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा उद्धृत आपूर्ति करने से नहीं रोका गया है। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित दरें गंतव्य के आधार पर हैं अर्थात् बीईडीएफ, एसवीबीपी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , (पुराना परिसर) , एनएच-58, रुड़की रोड , मोदीपुरम, मेरठ-250110 (यूपी)।
3. मैं/हम समझते हैं कि दस्तावेज वास्तविक/प्रामाणिक हैं और कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गई है और मुझे/हमें किसी भी सरकारी संगठन/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है और हम अनुबंध करने के लिए सक्षम हैं। मैं/हम समझते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि अनुबंध धोखाधड़ी के माध्यम से/जानकारी छिपाकर प्राप्त किया गया है , तो अनुबंध रद्द किया जा सकता है और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा जब्त की जा सकती है।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

बोलीदाता का नाम_____

स्थायी पता_____

संपर्क विवरण_____

अनुलग्नक-“ग”

रसायन/ग्लासवेयर/प्लास्टिक-वेयर/विविध मदों के लिए कोटेशन का आमंत्रण

क्र.सं.	नामपद्धति	पैक साइज़ /इकाई	ग्रेड/ विशिष्ट	निर्माण/ कंपनी	प्रति इकाई दर (रु.)
1	मेथनॉल	2. 5लीटर	एलसीएमएस	हनीवेल	
2	एसेटोनिट्राइल	2. 5लीटर	एलसीएमएस	हनीवेल	
3	2- प्रोपेनॉल	2. 5लीटर	एम्पार्टा	मर्क	
4	एसीटोन	2. 5लीटर	एचपीएलसी	मर्क	
5	एसेटोनिट्राइल	2. 5लीटर	एचपीएलसी	मर्क	
6	आइसोऑक्टेन	2. 5लीटर	एचपीएलसी	मर्क	
7	मेथनॉल	2. 5लीटर	एचपीएलसी	मर्क	
8	हाइड्रोजन पेरोक्साइड	500मि.ली.	सुप्रापुर 30%	मर्क	
9	क्लोरोफॉर्म	1लीटर	सुप्रा सोल्व	मर्क	
10	डाइमेथाइल सल्फोक्साइड	1लीटर	एम्शोर	मर्क	
11	डिअथील ईथर	1लीटर	जीआर ग्रेड	मर्क	
12	एन -हेक्सेन	1लीटर	क्रोमा सोल्व	सिग्मा एल्ड्रिच	
13	टोल्यूएन	1लीटर	एचपीएलसी	मर्क	
14	डाइ-क्लोरो मीथेन	1लीटर	एचपीएलसी	मर्क	
15	इथेनॉल	500मि.ली.	विश्लेषण के लिए एम्शोर, एसीए सस एब्सोल्यूट	मर्क	
16	एथिल एसीटेट	2. 5लीटर	सुप्रापुर	जे.टी. बेकर	
17	ग्लिसरॉल	1लीटर	जैव प्रौद्योगिकी ग्रेड	अमरेस्को	
18	फॉर्मिक एसिड	1लीटर	एम्शोर 98- 100%	मर्क	
19	एसीटिक अम्ल	1लीटर	100% जीआर ग्रेड	मर्क	
20	नाइट्रिक एसिड	2. 5लीटर	एम्शोर 65%	मर्क	
21	नाइट्रिक एसिड	1लीटर	सुप्रापुर 65%	मर्क	
22	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	1लीटर	एम्शोर 35%	मर्क	
23	हाइड्रोक्लोरिक एसिड	1लीटर	सुप्रापुर 30%	मर्क	
24	सल्फ्यूरिक एसिड	1लीटर	एम्शोर 98%	मर्क	

25	अमोनियम फॉर्मेट	100ग्राम	लिचरोपुर एलसीएमएस	सिग्मा एल्ट्रिच	
26	अमोनोणोउम असेटेट	100ग्राम	एचपीएलसी	मर्क	
27	सोडियम क्लोराइड	500ग्राम	एम्स्योर	सुपेल्को	
28	टिन(II) क्लोराइड डाइहाइड्रेट	250ग्राम	एम्पार्टा	मर्क	
29	पोटेशियम क्लोराइड	500ग्राम	जीआर ग्रेड	मर्क	
30	पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड छर्चे	500ग्राम	रीजेंट ग्रेड	अमरेस्को	
31	आयोडीन	100ग्राम	रीजेंट प्लस (आर)	सिग्मा एल्ट्रिच	
32	पोटेशियम आयोडाइड	500ग्राम	रीजेंट प्लस (आर)	सिग्मा एल्ट्रिच	
33	सोडियम हाइड्रॉक्साइड पेलेट	500ग्राम	जीआर ग्रेड	मर्क	
34	सोडियम सल्फेट एन्हाइड्रोज़	500ग्राम	जीआर ग्रेड	मर्क	
35	मैग्नीशियम सल्फेट	500ग्राम	रीजेंट प्लस	सिग्मा एल्ट्रिच	
36	पोटेशियम डाइक्रोमेट	500ग्राम	एम्पार्टा	मर्क	
37	अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	50ग्राम	लिचरोपुर एलसीएमएस	मर्क	
38	एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड डाइसोडियम सॉल्ट डाइ-हाइड्रेट (ईडीटीए)	100ग्राम	-	श्रीकेम	
39	एमीलोज़ फ्रोम पोटेटो- A0512	1ग्राम	-	मर्क /सिग्मा	
40	सेंट्रीफ्यूज ट्यूब (स्टेराइल), (500 ट्यूब पर बॉक्स) कैट: 546041	1बॉक्स	50mL कोनिकल	टार्सन	
41	सेंट्रीफ्यूज ट्यूब (स्टेराइल), (500 ट्यूब पर बॉक्स) कैट: 546021	1बॉक्स	Lm 15	टार्सन	
42	सैम्पल कटेनर (स्टेराइल) कैट: 510030	384सं. प्रति पैक	Lm 50	टार्सन	
43	माइक्रो-सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कैट: 500020	01बॉक्स	Lm 2	टार्सन	
44	माइक्रो-सेंट्रीफ्यूज ट्यूब (हुक लॉक) कैट: 500021	01बॉक्स	1.Lm 5	टार्सन	
45	डिस्पोजेबल सिरिंज	01बॉक्स	Lm 2	एनए	

46	डिस्पोजेबल सिरिंज	01बॉक्स	Lm 10	एनए	
47	माइक्रोटिप्सकैट521032 :	01बॉक्स	Lm 5	टार्सन	
48	माइक्रोटिप्स कैट: 521020X (पैक ऑफ 10 बॉक्स)	01पैक	200-L μ 1000	टार्सन	
49	माइक्रोटिप्स (T-200-Y) (पैक ऑफ 20 बॉक्स)	01पैक	01-L μ 200	एक्सीजन	
50	माइक्रोटिप्स (1000 टिप्स प्रति बॉक्स) कैट: 521000	01बॉक्स	0.2-L μ 10	टार्सन	
51	टिशू रोल	इकाई	एनए	एनए	
52	लिट-फ्री टिशू पेपर स्मॉल, कैट: 34120,(पैक ऑफ 30 पैकेट)	01पैक	एनए	किमटेक	
53	लिट-फ्री टिशू पेपर लार्ज कैट: 34256, (पैक ऑफ 10 पैकेट)	01पैक	एनए	किमटेक	
54	नाइट्राइल ग्लव्स (पाउडर मुक्त) कैट: 55082	100पीसेस प्रति बॉक्स	मध्यम	किमटेक	
55	लैब सोकसे कैट: 590010	250शीट	एनए	टार्सन	
56	पीसीआर ट्यूब स्ट्रिप (पीसीआर-0208-सीपी -सी)	(01 पैक- 10 बॉक्स), (01 बॉक्स-125 स्ट्रिप)	एनए	एक्सीजन	
57	पीसीआर प्लेट 96 वेल (हाफ स्कर्ट) पीसीआर-96एम2- एचएस- सी)	50 प्लेट प्रति पैक	एनए	एक्सीजन	
58	टेस्ट ट्यूब विथ रिम	1टेस्ट ट्यूब	15x 150mm	बोरोसिल	
59	टेस्ट ट्यूब विथ रिम	1टेस्ट ट्यूब	Lm 12	बोरोसिल	
60	ग्लास बीकर	01बीकर	2लीटर	बोरोसिल	
61	ग्लास बीकर	01बीकर	1लीटर	बोरोसिल	
62	ग्लास बीकर	01बीकर	Lm 500	बोरोसिल	

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।